

100 करोड़ की एम.डी. ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के साथ मिलकर एक अवैध एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया

जयपुर। पुलिस को विशेष अभियान "ऑपरेशन भोकाल" के तहत सेड़वा थाना क्षेत्र के धोलकिया गांव में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के साथ मिलकर एक अवैध एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में मादक पदार्थ, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उपकरण जब्त किए गए हैं। जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है, जब्त केमिकल से 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स तैयार की जा सकती है।

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके से 39 किलो 250 ग्राम एमडी, एनडीपीएस मिश्रित तरल पदार्थ, 290 किलो 840 ग्राम विभिन्न रासायनिक लिक्विड (क्लोरोफॉर्म, अमोनिया क्लोराइड, एसिड, टोलवीन, ब्रोमीन, एचसीएल, कार्बन सहित), 5 किलो 330 ग्राम सफेद पाउडर, एक इलेक्ट्रिक कोटा,



पुलिस ने मांगी लाल बिश्नोई, निवासी धोलकिया कारटिया और बिरजू जयेंद्र शुक्ला निवासी मुंबई, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया।

जनेरेटर और ड्रग्स बनाने की विधि लिखी दो कोपियाँ जब्त की हैं। जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 40 लाख है, जिससे 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स तैयार की जा सकती थी।

एसपी मीना ने बताया कि मुखबिर से सेड़वा थानांतर्गत धोलकिया (कारटिया) गांव में अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चलने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर विशेष

टीमें गठित की गई। टीम ने मांगीलाल बिश्नोई के खेत में दबिश दी, जहां घर के पीछे एक छपर में फैक्ट्री का सेटअप मिला। पुलिस को देखकर तीन लोग भागने लगे, जिनमें से मांगी लाल बिश्नोई (21) निवासी धोलकिया कारटिया और बिरजू जयेंद्र शुक्ला (45) निवासी मुंबई, महाराष्ट्र को मौके पर ही धर दबोचा गया। एक अन्य आरोपी गणपत सिंह रावणा

राजपूत निवासी आकल भागने में सफल रहा।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस फैक्ट्री को स्थापित करने की योजना रमेश उर्फ अनिल बिश्नोई, कमलेश उर्फ कार्लिक बिश्नोई, कमलेश गोदारा और गणपत सिंह रावणा राजपूत ने मिलकर बनाई थी। मांगीलाल को फैक्ट्री के लिए जगह देने के बदले रमेश द्वारा 10 लाख रुपये दिए जाने थे, जिसमें से 5 लाख नकद दिए जा चुके थे। फैक्ट्री के लिए सामग्री मुंबई से मंगवाई गई थी, जिसमें नर्मदा ग्लास कंपनी से कांच का सामान और रोहन कंपनी से रासायनिक पदार्थ/केमिकल/एसिड शामिल थे। आरोपियों में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध हथियार रखने और सबसे महत्वपूर्ण, मादक पदार्थों की तस्करी व निर्माण जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता पाई गई है। यह गिरफ्तार एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है जो विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल है।

बच्चों ने देखी विधान सभा

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधान सभा भवन, सदन और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को देखा। देवनानी ने बाल संबल संस्थान के बच्चों से उनके पढ़ाई और रूचि के विषयों के बारे में बातचीत की।

देवनानी ने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में ध्यान लगाये, खूब पढ़े और आगे बढ़ो। विधान सभा डिजिटल संग्रहालय को देखकर बच्चे अभिभूत हुए। देवनानी ने बच्चों के साथ समूह चित्र भी करवाया।

निलंबित सभापति को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली नगर परिषद की निलंबित सभापति रशीदा खातून को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश रशीदा खातून की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही न्यायिक जांच तीन माह में पूरी की जाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अनंतकाल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। जनप्रतिनिधि से गरिमा और ईमानदारी के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है।

याचिका में कहा गया कि उसे राजनीतिक ढ़ेवता के चलते निलंबित किया गया है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उस पर झूठे आरोप लगाए गए और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मनमाने तरीके से निलंबित किया गया। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि याचिकाकर्ता को बाद का दुरुपयोग कर पट्टा जारी करने का आरोप है।

मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने एडीएम से जांच कराई थी। एडीएम ने अपनी जांच में अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोप को सही माना था। ऐसे में न्यायिक जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए याचिकाकर्ता को जुलाई, 2024 में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए वार्ड पार्षद और सभापति पद से निलंबित किया गया था।

दूसरी ओर मामले में शिकायतकर्ता अशोक पाठक के अधिवक्ता प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि सभापति रहते याचिकाकर्ता ने शिव मंदिर की जमीन का पट्टा अपने पुत्र के नाम जारी कर दिया था। इस मामले में कराई गई जांच में वह दोषी पाई गई थी। ऐसे में उनका निलंबन सही था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की रशीदा खातून दिसंबर, 2020 में नगर परिषद के सभापति के तौर पर निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 16 जुलाई, 2024 को उन्हें निलंबित किया गया और 17 मार्च को राजरानी शर्मा को सभापति नियुक्त किया गया।

दोस्ती का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म

जयपुर। मालवीय नगर थाना इलाके में दोस्ती का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित नाबालिग की माँ ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पचा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश शुरु कर दी है।

थानाधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि 'खोह नागोरियान इलाके में रहने वाली पीड़ित माँ ने मामला दर्ज कराया है कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी युवक ने दोस्ती करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग से दोस्ती की और 17 मार्च को झूठ बोलकर उसे अपने घर पर ले गया। वहां पर आरोपी ने उसे साथ दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर आरोपी ने उसे शادی करने का झांसा दिया। काफी समझाईश के बाद भी आरोपी सोमवार को नाबालिग को रास्ते में रोकर धमकी देते हुए अपने साथ ले गया। जिसके बाद पीड़िता की माँ ने थाने पहुंच मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

मरम्मत करवाया गया।

महापौर ने बताया कि दो दिवस में मुरलीपुरा जोन में 32, विद्याधर नगर जोन में 24, झोटवाड़ा जोन में 62, मानसरोवर जोन में 60, सांगरनर जोन में 30, जगन्पुरा जोन में 25 एवं मालवीय नगर जोन में 78 गुड्डी की मरम्मत की गई।

आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने मानसून में कोई दुर्घटना ना हो इसको लेकर आंधशापी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को गडबडी की मरम्मत करने के भी निर्देश दिये।

छात्रसंघ चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई संभव है। विश्वविद्यालय के एमए समाचारशास्त्र प्रथम वर्ष के छात्र जय राव की ओर से दायर इस याचिका में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव और विवि के वीसी को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही विद्यार्थियों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता वहीं लिंगदोह कमेट्री की सिफारिशों के तहत हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेट्री की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरु होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय ने लिंगदोह कमेट्री की सिफारिशों के आधार पर एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है और यदि

शिक्षा संकुल पर अभिभावकों व बच्चों ने किया प्रदर्शन

जयपुर। राजधानी में एक बार फिर अभिभावकों की एकजुटता देखने को मिली, इस बार मामला राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों की जरूरी शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी सभी गाइडलाइन को अपनाने के बावजूद दाखिला नहीं होने था, जिसको लेकर पिछले तीन महीनों से अभिभावकों में आक्रोश था, ना स्कूल संचालक ठीक से कोई जवाब दे रहे थे ना शिक्षा विभाग कोई जवाब दे रहा था, जब जवाब देने की बारी आई तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देकर अभिभावकों को बीच राह में छोड़ दिया और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया, आलम यह रहा कि बच्चे नए सत्र के प्रारंभ होने के 23 दिन बीत जाने के बावजूद आजतक पढ़ाई का इंतजार करने को मजबूर हो रहे हैं किंतु ना राज्य सरकार कोई सुध ले रही है ना शिक्षा विभाग कोई

अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगी रिपोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना से शाहपुरा जाने वाली अस्सी फीट रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर तीन सप्ताह में तथ्यात्वक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जुगल किशोर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि नीमकाथाना से शाहपुरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के लिए 80 फीट चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते इस रोड पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण हो गया है कई जगहों पर रोड की चौड़ाई घटकर साठ फीट रह गई है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिका से पट्टे भी जारी कराए गए हैं। प्रभावशाली लोगों ने बिना स्वीकृति अवैध तरीके से और अतिक्रमण करते हुए बड़े कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक भवन बना लिए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है

उसकी अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ही इसी कमेट्री की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। याचिका में कहा गया कि कमेट्री की सिफारिश होने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे मूलभूत अधिकार घोषित करने के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। कोर्ट पीआईएल कर चुकी खारिज- गौरतलब है कि साल 2023 में छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसे 19 अगस्त, 2023 को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह पब्लिक इंटरैस्ट पिटीशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरैस्ट पिटीशन है।

गोठवाल ने सोलपुर, ईसरदा, पार्वतीनगर और देवली के विद्यार्थियों की छत टांकने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मरम्मत के आदेश जारी किए। इसके साथ ही शिवाडू, सारसोप एवं ईसरदा के स्कूलों में छात्रों की सुविधा हेतु वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उल्लेखनीय है कि वे हर दिन एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत अपने संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधाारोपण कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर युवती से दुष्कर्म

जयपुर। सोडाला थाना इलाके में एक सहकर्म युवक ने अपनी महिला दोस्त को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और नशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। जिसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आए दिन उसे ब्लैकमेल करने लगा। रोज -रोज की धमकी से परेशान होकर युवती ने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने पचा बयानों के आधार पर आरोपी युवक के लिए पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

थानाधिकारी राशेश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय युवती का आरोप है कि वो पडोस में रहने वाले युवक के साथ ही जाँब करती थी सहकर्म होने के कारण उसे बातचीत होती रहती थी। अप्रैल - 2025 में वो घर पर अकेली थी। इसी दौरान पडोसी युवक काम के बहाने से घर पर आया और धोखे से उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोशी ही हालत में आरोपी उसने के उसके साथ दुष्कर्म किया और युवक अश्लील वीडियो बना लिया। जिसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आए दिन उसे ब्लैकमेल करने लगा।

17 को शिक्षा निदेशक, 18 जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किए, अब तक ना दाखिले मिले ना निजी स्कूलों पर कार्यवाही हुई, बच्चे 23 दिनों से घर बैठे पूछ रहे हम स्कूल कब जाएंगे

सुध ले रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ के आह्वान पर से पीड़ित, प्रभावित और प्रताड़ित अभिभावक बड़ी संख्या में जुटे और राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के खिलाफ अमकर नारेबाजी

कर विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश दिखाया।

इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वह बच्चे भी शामिल हुए।जिनका आरटीई की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग द्वारा लॉटरी माध्यम से चयन हुआ था, जिनकी पढ़ाई आजतक भी शुरू नहीं हो पाई है। बुधवार को हुए प्रदर्शन में राजधानी जयपुर के 50 से अधिक स्कूलों के अभिभावक शामिल हुए साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, संजय गोयल, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिड़ु, रवि खंडेलवाल, विकास चंदोलिया, पंडित लोकेश शर्मा, विशाल मुदगल, रितिका शर्मा, अनीता पंजवानी, पूतम, काव्या, रवि प्रकाश, सुरेश कुमार, हिमांशु मेहरा, विजय सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं एकत्रित हुए पढ़ाई शुरू करवाने की गुहार लगाई।

न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

वकील रहमान ने कहा कि अधिकांश मामलों में याचिकाकर्ता दोषमुक्त को चुका है

अदालत ने रजिस्ट्रार न्यायिक को इस संबंध में गुरुवार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं।

जिला न्यायाधीशों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी सविल सेवा आचरण नियमों की अवहेलना करते हुए अविधिक रूप से 18 जुलाई, 2025 से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं। जिसके चलते अदालतों का न्यायिक कामकाज विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उन्हें निर्देश दिए जाते हैं

विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसुनवाई की

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने अपने क्षेत्रीय दौरे के अंतर्गत ग्राम पंचायत ईसरदा में जनसुनवाई कर सुनौं एवं कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं तथा कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई के दौरान गोठवाल ने ईसरदा में खेड़ा वाले बालजी तक सड़क निर्माण हेतु 5 लाख रुपये देने की घोषणा की, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा होगी।

गोठवाल ने सोलपुर, ईसरदा, पार्वतीनगर और देवली के विद्यार्थियों की छत टांकने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मरम्मत के आदेश जारी किए। इसके साथ ही शिवाडू, सारसोप एवं ईसरदा के स्कूलों में छात्रों की सुविधा हेतु वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उल्लेखनीय है कि वे हर दिन एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत अपने संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधाारोपण कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। देशभर में डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज लगाने के साथ-साथ आईसीटी प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश के 29 राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3564 आईसीटी प्रयोगशाला और 3655 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए 28 हजार 841 लाख रुपए की राशि आवंटित की है।

इसके साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशिष्ट प्रयोगशालाओं को शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत 5989 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने सदन में यह जानकारी दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के तहत सरकारी पढ़ने वाले छात्रों सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं तथा स्मार्ट कक्षाओं की

साइबर ठग गिरफ्तार

जयपुर। साइबर ठगों को फर्जी मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर के मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम सक्रिय करवाने की सूचना पर पुलिस थाना साइबर (क्राइम) राजस्थान की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी घनश्याम मौणा को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी फर्जी आधार कार्ड तैयार कर उन पर अप कीमत स्वीक्री लगाकर अवैध रूप से मोबाइल सिम प्राप्त करता था और फिर उन्हें अन्य साइबर अपराधियों को बेचता था।

एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति ने डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के तहत एक मोबाइल सिम एक्टिव कराने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को कंपनी के प्रतिनिधि ने उस स्टोर से संपर्क कर वीडियो कॉल के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करवाई।

विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसुनवाई की

जयपुर। देशभर में डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज लगाने के साथ-साथ आईसीटी प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश के 29 राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3564 आईसीटी प्रयोगशाला और 3655 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए 28 हजार 841 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशिष्ट प्रयोगशालाओं को शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत 5989 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने सदन में यह जानकारी दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के तहत सरकारी पढ़ने वाले छात्रों सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं तथा स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईसीटी लैब के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपए तक का अनुदान और प्रतिवर्ष 2.40 लाख का आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। स्मार्ट क्लासेज में इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से बीएसएनएल के साथ अनुबंध करने और इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी अनुदान से से स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने बजट 2025 में सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान तक की घोषणा की है।

गहलोत और कांग्रेसी नेता बौखलाहट में फैला रहे अफवाहें : मदन राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक बौखलाहट और जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत संवैधानिक प्रक्रिया को समझे बिना टिप्पणी कर रहे हैं और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। धनखड़ जी ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के तहत दिया है।

वे दो-तीन बार कार्यक्रमों में भी अस्थाये होने के कारण अपस्थाल में भी भर्ती हो चुके हैं। राठौड़ ने कहा कि ना तो गहलोत चिकित्सक हैं और ना ही धनखड़ जी के निजी चिकित्सक। जब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अस्थाय होना कोई मजबूरी नहीं। कांग्रेस को हर चीज में साजिश क्यों नजर आती है? शायद इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस देश में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस द्वारा यह कहना कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, महज झूठी कहानी गढ़ना है। राठौड़ ने गहलोत को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले खुद कैसे सत्ता में आए, ये भी बताएं। उन्होंने गहलोत से सवाल पूछा कि "राजस्थान में आपकी सरकार ने किस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, यह देश जानता है।

आपने अपने ही विधायकों को बाढ़ेबंदी में रखकर लोकतंत्र की हत्या की थी। आज वही नेता नैतिकता और लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं।"

मदन राठौड़ ने गहलोत के "कांग्रेस का स्टैंड पहले भी सही था, अब भी सही है" वाले बयान को राजनीतिक अहंकार और ढोंग बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की समस्या यह है कि वह हर बार खुद को ही सही मानती है, और जब जनता उसे नकार देती है, तो लोकतंत्र को दोष देने लगती है। वास्तव

